

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

दिनांक--

क्रमांक:--नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/30493/जोन-जयपुर/2025/

::आदेश::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1)एफ.डी. (ग्रुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-गा दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15 (88) एफ.डी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 एवं दिनांक 01.04.2023 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिन्होंने 9. 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एसीपी/एमएसीपी स्वीकृत की जाती है --

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	ACP देय तिथी व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेन्ड/वर्तमान में प्राप्त वेतन श्रृंखला	देय पे ग्रेड/देय पे वेतन श्रृंखला
1	मुनेश म.स्वा.कार्यकर्ता	शाहजापुर अलवर	09.09.2011	09.09.2020 09 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
2	मोनिका सारस्वत म.स्वा.कार्यकर्ता	दौसा	08.09.2011	08.09.2020 09 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
3	श्रुचा शर्मा म.स्वा.कार्यकर्ता	दौसा	05.04.2012	05.04.2021 09 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
4	निर्मला कुमारी म.स्वा.कार्यकर्ता	जयपुर	08.09.2011	08.09.2020 09 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
5	ममता देवी म.स्वा.कार्यकर्ता	जयपुर	18.07.2012	18.07.2021 09 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
6	सुनिता म.स्वा.कार्यकर्ता	दौसा	29.09.2011	29.09.2020 09 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
7	सरोज म.स्वा.कार्यकर्ता	जयपुर	06.09.2011	06.09.2020 09 वर्ष	लेवल-08	लेवल-10
8	बबीता देवी म.स्वा.कार्यकर्ता	सीकर	22.10.1996	22.10.2014 18 वर्ष	लेवल-10	लेवल-11

1-यदि उक्त कार्मिकों में से किसी के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के कारण नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:--नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/30493/जोन-जयपुर/2025/ 12857604

दिनांक-13.01.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संबंधित नियंत्रण अधिकारी।
2. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी, सर्वर रुम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
Date: 13/01/2025 08:04:37